**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय  
रक्षा विभाग**

**राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1451**

**01 जनवरी, 2018 को उत्तर के लिए**

**सेना कमाण्डरों की नियुक्ति हेतु शेष सेवा में कटौती**

**1451. श्री ए.के. सेल्वाराज :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(**क**) **क्या यह सच है कि सरकार सेना कमाण्डरों के रूप में नियुक्ति हेतु शेष सेवा को 24 माह से घटाकर 18 माह करने पर विचार कर रही है ;**

(**ख**) **क्या यह भी सच है कि शेष सेवा को कम करना इसे अन्य रक्षा सेवाओं के समतुल्य बनाना है ;**

**(ग) क्या यह निर्णय आहुजा समिति की सिफारिशों के समान है ; और**

(**घ**) **यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है** ?

**उत्तर  
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क): सरकार ने सेना कमांडरों की नियुक्ति के लिए शेष सेवा शर्त को मौजूदा 24 माह से कम करके 18 माह करने को अनुमोदित किया है ।

(ख) से (घ): भारतीय सेना में शेष सेवा शर्त को कम करने का उद्देश्य तीनों सेनाओं की नीतियों के बीच बेहतर सामंजस्य बनाए रखना है । उक्त निर्णय लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) जी.एस. कटोच और लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) ए.के. आहुजा को मिलाकर गठित समिति की सिफारिशों के अनुरूप भी है ।

\*\*\*\*